<u>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), श्रीकरणपुर</u>

पीठासीन अधिकारी : मूलचन्द लूणिया {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 96/2019

1. निशान सिंह उर्फ नक्षत्र सिंह पुत्र बचन सिंह जाति रामगढिया निवासी अरायण तहसील श्री करणपुर। --वादी--

बनाम

राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार श्री करणपुर।

--प्रतिवादी--

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट, 88 आरटीए</u>

--निर्णय-- **दिनांक : 16.03.2020**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 33 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 77 के खाता संख्या 54 के मु.न. 18, 19, 43, 64/18, की कुल 4.073 हैक्टर नहरी कृषि भूमि में से 1019/4073 हिस्सा वादी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त जमाबन्दी में वादी के नाम वर्णित रकबा पंजीकृत बन्द वसीयत दिनांक 10.08.2009 के आधार पर जरिये नामान्तरण संख्या 512 दर्ज हुआ है। उक्त वसीयत में मुझ वादी का नाम निशान सिंह पुत्र बचन सिंह मुझ वादी के पिता द्वारा दर्ज करवाया गया था। वादी का वास्तविक नाम नक्षत्र सिंह पुत्र बचन सिह जाति रामगढिया निवासी अरायण तहसील श्री करणपुर है। वादी को निशान सिंह व नक्षत्र सिंह दोनो नामों से जाना जाता है। वादी के पिता के वारिस प्रमाण पत्र में भी मुझ वादी का नाम निशान सिंह उर्फ नक्षत्र सिंह दर्ज है। वादी के आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड व अन्य समस्त दस्तावेज में वादी का नाम नक्षत्र सिंह दर्ज है। जमाबन्दी में वादी का नाम निशान सिंह दर्ज होने के कारण वादी को भारी पेरशानियों का सामना करना पडता है। वादी ने इस सम्बन्ध में दिनांक 22.11.2019 को तहसीलदार श्री करणपुर के पक्ष में लिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपना नाम संशोधित करवाना चाहा तो तहसीलदार द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष उक्त वाद पत्र प्रस्तुत करने की हिदायत दी गई। वाद पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार, पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि चक 33 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 77 के खाता संख्या 54 में वादी का नाम निशान सिंह पुत्र बचन सिंह के स्थान पर निशान सिंह उर्फ नक़्षत्र सिंह पुत्र बचन सिंह जाति रामगढिया निवासी अरायण घोषित किये जाने के आदेश फरमावे।

वाद पत्र पेश होन पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार श्री करणपुर के पंत्राक 9179 दिनांक 10.02.2020 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई रिपोर्ट के अनुसार चक 33 एफ के खाता संख्या 54 में 4.073 हैक्टर भूमि निशान सिंह पुत्र बचन सिंह के नाम 1019/4073 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है, जो कि उक्त भूमि प्रार्थी को उनके पिता के देहान्त के पश्चात जरिये वसीयत प्राप्त हुआ है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पहचान पत्र आदि में प्रार्थी का नाम नक्षत्र सिंह पुत्र बचन सिंह अंकित है। निशान सिंह व नक़्षत्र सिंह एक ही व्यक्ति के दो नाम है।

बहस सुनी गई प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस में वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए, प्रार्थना पत्र स्वीकार हेतु निवेदन किया।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। वादी के द्वारा चक 33 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 77 के खाता संख्या 54 में वादी का नाम निशान सिंह पुत्र बचन सिंह के स्थान पर निशान सिंह उर्फ नक़्षत्र सिंह पुत्र बचन सिंह जाति रामगढिया निवासी अरायण दर्ज किये जाने बाबत निवेदन किया गया है। वादी के पहचान सम्बन्धी दस्तावेज यथा आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड में नक्षत्र सिंह पुत्र बचन सिह अंकित है। प्रार्थी के नाम के सम्बन्ध में सरपंच ग्राम

पंचायत अरायण द्वारा जारी प्रमाण पत्र में भी निशान सिंह व नक्षत्र सिंह दोनो नाम एक ही व्यक्ति के है। इनको दोनो नामों से पुकारा जाता है। मैं इसे व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। ग्राम पंचायत अरायण पंचायत समिति श्री करणपुर जिला श्री गंगानगर द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र में वादी का नाम निशान सिंह उर्फ नक्षत्र सिंह दर्ज है। वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

उपरोक्त तथ्यो के विवेचन एवं रिपोर्ट तहसीलदार श्री करणपुर तथा पत्रावली में साक्ष्य सबूत के आधार पर वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर चक 33 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 77 के खाता संख्या 54 में वादी का नाम निशान सिंह पुत्र बचन सिंह के स्थान पर निशान सिंह उर्फ नक्षत्र सिंह पुत्र बचन सिंह जाति रामगढिया निवासी अरायण अंकित किए जाने के आदेश दिए जाते है। इस खाते के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री इस आश्य का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्री करणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 16.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2020.03.16 16:38:13 IST
Reason: SelfAttested
Location: